कार्यालय राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ
द्वितीय तल, शास्त्री भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ

संख्या– 880/रा0आ0का0/2019–20

प्रेषक,

संजय गोयल,
राहत आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राहत आयुक्त कार्यालय

दिनॉक : 19 मार्च, 2020

विषयः– नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) तथा वज्रपात के बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण व जागरूकता के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 12.03.2020 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रशिक्षण कराये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपरोक्त प्रशिक्षण जनपद स्तर पर कराने का कष्ट करें।

2– उक्त के क्रम में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारियों/जिला सर्विलॉन्स अधिकारियों/आर0आर0टी टीम/जिला चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी तथा पंचायतीराज विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के 50 अधिकारियों/कर्मियों का अर्ध–दिवसीय प्रशिक्षण आहूत कराया जाय। प्रशिक्षण का एजेण्डा निम्नवत् होगाः–

1. कोरोना वायरस के संबंध में सैम्पल कलेक्शन एवं ट्रान्सपोटेशन, इन्फेशन प्रिवेंशन एवं वेस्ट डिस्पोजल प्रोटोकॉल, आइसोलेशन वार्ड हेतु मण्डलीय एवं जनपदीय चिकित्सालयों में आवश्यक व्यवस्थायें एवं लाजिस्टिक्स।
2. नवीन कोरोना वायरस के संबंध में दस्तक अभियान के दौरान फ्रन्ट लाइन वर्कर, ग्राम प्रधानों तथा विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा अपेक्षित जन–जागरूकता कार्य।
3. विदेश यात्रा से वापस आये यात्रियों के आईसोलेशन क्वारेनटाइन, ट्रेकिंग, सैम्पल कलेक्शन तथा रिकार्डिंग एवं रिपोर्टिंग हेतु नवीनतम दिशा–निर्देश।

3– उक्त के साथ ही वर्तमान में वज्रपात की कई घटनायें जनपदों से रिपोर्ट हो रही हैं जिनमें बड़ी संख्या में जनहानि हो रही है। वज्रपात के प्रबंधन के लिये भी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

4– प्रशिक्षण के दौरान प्रस्तर–4 में उल्लिखित विषय के लिये रिसोर्स पर्सन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नामित किये जायेंगें तथा प्रस्तर–3 में उल्लिखित एजेण्डा बिन्दु–1,2 व 3 के लिये रिसोर्स पर्सन/प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर, जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जनपद के चिकित्सा विभाग से आवश्यक पत्राचार किया जा रहा है। पत्र में अवगत कराया गया है कि प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु डा0 विकासेन्दु अग्रवाल, स्टेट सर्विलॉन्स अधिकारी (मो0नं0–9219793100), एवं डा0 नवीन रस्तोगी, मण्डलीय सर्विलॉन्स अधिकारी (मो0नं0–8987794409) से सम्पर्क किया जा सकता है।

5— जनपद के चिकित्सा विभाग से समन्वय (रिसोर्स पर्सन/प्रशिक्षण कर्ता, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण एजेण्डा आदि के संबंध में) करते हुए जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तर–3 में उल्लिखित विभागों के 50 अधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आमंत्रित कर अर्ध–दिवसीय प्रशिक्षण आहूत करने का कष्ट करें।

6— प्रशिक्षण हेतु अनुमानित लागत की गणना प्रति व्यक्ति रू0 200 की दर से आगणित करते हुए 50 अधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु आवश्यक धनराशि रू0 10,000/– प्रत्येक जनपद को राज्य आपदा मोचक निधि के "कैपेसिटी बिल्डिंग" मद से अग्रिम रूप में स्वीकृत किया जा रहा है।

7— दिनांक 26 मार्च 2020 के पूर्व अनिवार्य रूप से **"प्रशिक्षण"** को आहूत कर फोटोग्राफ तथा प्रतिभागियों की सूची के साथ संक्षिप्त रिपोर्ट राहत आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। यह ध्यान रखे कि प्रशिक्षण में निर्धारित संख्या में अधिकारी/कार्मिक अवश्य प्रतिभाग करें।

संलग्नकः–यथोक्त

भवदीय,

(संजय गोयल)
राहत आयुक्त

पत्र संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राजस्व अनुभाग–10 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त जनपदों को राज्य आपदा मोचक निधि के "कैपेसिटी बिल्डिंग" मद से रू0 10–10 हजार की धनराशि अग्रिम रूप में स्वीकृत करने का कष्ट करे।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।
9. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
10. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
12. वरिष्ठ सलाहकार (राष्ट्रीय कार्यक्रम), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
13. महाप्रबंधक (राष्ट्रीय कार्यक्रम), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
14. राज्य प्रतिनिधि, डब्ल्यू0 एच0ओ0।
15. राज्य प्रतिनिधि, यूनीसेफ।

(संजय गोयल)
राहत आयुक्त